FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2026

प्रार्थी

ांती देवी वगैरा

बनाम

अप्रार्थीगण

शान्तिदेवी वगैरा

दमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया है अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमल की जारी किया जाना न्यायोचित समझते है अप्रार्थीगण ग्राम गुडा विश्नोईयान तहसील लूणी के खसरा नम्बर 1069/158 रकबा 1.1976 में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति आगामी पेशी तारीख तक कायम रखें। पत्रावली वास्ते तामिल हेतु दिनांक 09.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	
9/3/26	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है दौरे पर है। दीगर कार्यो में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 13/4/26 को पेश हो।	
13-4-26	पत्राबली पेश हुई। पीठासीन अधिका[illegible] पर है दौरे पर है। दीगर कार्यो में [illegible] पत्रावली दिनांक 8-6-26 को पेश हो।	
8-6-26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मे न्यायालय समय में वादी/प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को आवाजे दिलवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	